भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2408

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

दृष्टिबाधित बच्चों का उत्थान

2408. श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने दृष्टिबाधित लड़कों और लड़कियों के शैक्षिक विकास और उत्थान के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट में उक्त बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 में दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 को लागू हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत समावेशी शिक्षा और धारा 31 के तहत बेंचमार्क (40% या अधिक) दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तथापि, केन्द्र सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध देहरादून, उत्तराखंड के दृष्टिबाधित (दिव्यांगजन) बच्चों के लिए एक वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल स्कूल चला रहा है, और कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 248 दृष्टि बाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

एनआईईपीवीडी दृष्टि बाधित बच्चों को सुगम्य शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, जो निम्नानुसार है:-

1. ई-पब / डैजी

2. ह्युमन नैरेटेड रिकॉर्डिंग

3. लार्ज प्रिंट / ऑडियो बुक्स

4. प्रूफरीडिंग के बिना ओसीआर स्ट्रक्चर ई-पब

5. टेक्टाइल डाइग्राम

6. सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से ऑनलाइन सेवा

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा सहित दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है:

(i) विभाग की दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना तथा कम दृष्टि केन्द्र परियोजना के विकल्प के साथ, दृष्टि-दिव्यांग बच्चों (बधिर दृष्टिहीनता सहित) के लिए विशेष स्कूलों की परियोजना सहित दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(iii) विभाग दृष्टि दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) भी चला रहा है।

(iv) विभाग की राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक एसटीईएम विषयों का अध्ययन करने वाले 100% दृष्टिहीन छात्रों को विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

यथा सूचित, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अर्थात समग्र शिक्षा योजना शुरू की है। समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है। इस योजना में दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता की अनुसूची में उल्लिखित सभी दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया है।

(घ): इस संबंध में इस विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****